**कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.)**
**Phone: 0755-2540590, 4050000-07 Email: deangmc_bpl@yahoo.co.in**
**Fax: 0755-2541376 Website -www.gmcbhopal.net**

क्रमांक 1549/स्था/5/2021 भोपाल, दिनांक 01/04/2021

## // स्टाफ नर्स की भर्ती सूचना//

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 546/स्था/अराज/2020, दिनांक 01.06.2020, के तहत मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु मध्यप्रदेश शासन से अनुबंधित उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

**आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 12.04.2021 साय 5.00 बजे तक**
**(शासकीय कार्य दिवस में आमंत्रित किये जाते हैं।)**

स्टॉफ नर्स के कुल रिक्त पदों की संख्याः– **403**

**1. सीधी भर्ती हेतु महिला स्टाफ नर्स के रिक्त पद –380**

| स. क्रं. | श्रेणी | बिना वर्ग | भूतपूर्व सैनिक | दिव्यांग | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अनारक्षित (UR) | 100 | 12 | 8 | 120 |
| 2 | आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) | 14 | 1 | 0 | 15 |
| 3 | अनुसूचित जाति (SC) | 53 | 5 | 4 | 62 |
| 4 | अनुसूचित जन जाति (ST) | 65 | 7 | 5 | 77 |
| 5 | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 90 | 10 | 6 | 106 |
| | **योग** | **322** | **35** | **23** | **380** |

**2. संविदा हेतु आरक्षित महिला स्टाफ नर्स के रिक्त पद –23**

| स. क्रं. | श्रेणी | बिना वर्ग | भूतपूर्व सैनिक | दिव्यांग | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) | 3 | 0 | 0 | 03 |
| 2 | अनुसूचित जाति (SC) | 0 | 1 | 1 | 02 |
| 3 | अनुसूचित जन जाति (ST) | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 0 | 2 | 2 | 04 |
| | **योग** | **14** | **5** | **4** | **23** |

**3. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–**

| | |
|---|---|
| **स्टाफ नर्स** | 1. अभ्यार्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीवन विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।<br>2. शासकीय बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित।<br>3. मध्यप्रदेश कौसिल में जीवित पंजीयन। |

निरंतर——2

**स्टाफ नर्स के पद नियुक्ति हेतु निर्देश/शर्तेः—**

1. शासकीय नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय की उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा व्यय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्क्रूटनी में उपयुक्त पाये जाने पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/— प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात स्टाफ नर्स की कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात् ही अभ्यार्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा।

| पद का नाम | वेतनमान |
|---|---|
| स्टाफ नर्स | **शासन निर्देशानुसार वेतन देय होगा।** |

2. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय,जबलपुर के अंतिम आदेश के अधीन होगी।

**4. वेतनमान एवं अन्य भत्तेः—**

महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होगी।

**5. आरक्षणः—**

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल और कीमिलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
3. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यार्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश के राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो।
4. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ—6—1/2002/अ.प्र./एक भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) नियम 1988 के नियम—4(ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अंतर्गत **"4—ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध"** में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाडा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा"
5. दिव्यांगन के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 8—4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) भोपाल दिनांक 17 सितम्बर 2018 अनुसार रहेगा।

| | |
|---|---|
| **अस्थि बाधित** | **अस्थि बाधित (45% to 50%) शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है।** |

6. उक्त पदों में सविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. सी 5—2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार रहेगा।
7. उक्त पदों में भूतपर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ9—3/2012 आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सिंतबर 2012 के अनुसार देय रहेगा।
8. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र.एफ 07—11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

निरंतर—3

**6. आवेदन शुल्कः–**

अनारक्षित वर्ग हेतु 1000/–(एक हजार रूपये) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमिलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) एवं निःशक्तजन उम्मीदवारों के लिए 800/– (आठ सौ रूपये) राशि का आर.टी.जी.एस.टी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंण्डिया गांधी मेडिकल कॉलेज शाखा भोपाल में खाता क्रमांक एवं आईएफसीको क्रं. (Account No. 10625211248 ) (IFSC:- SBIN0010140) कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) के नाम देय से प्रस्तुत करना होगा। रसीद के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम, पता तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा।

**7. आयु सीमाः–**

1. अनारक्षित वर्ग हेतु –न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/नियम–न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)

**नोटः– आयु की गणना 01 जनवरी 2021 के आधार पर की जावेगी।**

**8. सामान्य शर्तेः–**

1. उम्मीदवार का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. ऐसे अभ्यार्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों का पूर्ण करते हो उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमिलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते है, उन्हे शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना होगा।
5. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना होगा।
6. अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
7. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में मान्य होगा।
9. ऐसे आवेदक जिनका दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

निरंतर—4

10. वैवाहिक स्थिति–एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
11. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होगी।
12. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा। अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होने आवेदन किये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये है। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियों में एक से अधिक आवेदक के लिए समान तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

## 9. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्रः–

स्टाफ नर्स को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पदति करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तो का पालन करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।

## 10. निर्हतायें:–

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या तो उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा:–

1. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हो जिनमें फेरबदल किया गया हो या
2. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/ दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
3. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
4. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो:–

   **अ.** महिला उम्मीदवार जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे प्रकरणों में शासन ही अन्तिम निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन इस बात से सहमत हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

   **ब.** जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।

   **स.** महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध नहीं पाए गए।

   **द.** जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।
5. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

निरंतर—5

**महत्वपूर्ण टीपः—**

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) की वेबसाईट **www.gmcbhopal.net** का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एव महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संबंध में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय—समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदानुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

**अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल**

# आवेदन का प्रारूप

**नोटः– सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।**

पासपोर्ट साईज फोटो

आवेदन शुल्क (अनारक्षित–1000रू एवं अजा, अजजा, अपिव, ई.डब्ल्यू.एस., निःशक्तजन– 800रू)
आर.टी.जी.एस.टी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंण्डिया गांधी मेडिकल कॉलेज शाखा भोपाल, (IFSC:- SBIN0010140 ) (Account No. 10625211248 ) ( Gandhi Medical College, Bhopal) के नाम से कर, रसीद संलग्न करें।

1. पद का नाम.................................................................................................
2. बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ..........................................................................................
3. आवेदक का पूरा नाम (उपनाम सहित)......................................................................
4. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित) ......................................................................
5. जन्मतिथि ......................................................................................................
6. आयु दिनांक 01.01.2021 के अनुसार वर्ष ..................माह...................... दिन........................
   (सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
7. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)....................................................................
   ..............................................................................................................................
8. स्थाई निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)........................................................................
   ..............................................................................................................................
9. मोबाईल नम्बर ..............................................ई–मेल आई.डी............................................
10. वर्गः अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक..........................................(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायापति संलग्न करें)
11. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि ..................................................................
12. शैक्षणिक योग्यताएंः– (प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित संलग्न करें

| स. क्र. | परीक्षा का नाम | संस्था/बोर्ड/विवि का नाम | वर्ष | विषय | प्राप्तांक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |

**जीवित बच्चों का विवरणः–**

| सं. क्र. | नाम | लिंग | जन्मतिथि (सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

14. अन्य विशेष योग्यताः–
15. सेवारत होने की स्थिति में नियोक्ता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
16. निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा 26.01.2001 के पश्चात तीसरी संतान न होने का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ–पत्र संलग्न करें।
17. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची।

**स्थान.................................................** **आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर**

**दिनांक................................................**

## //घोषणा–पत्र//

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

2. मैं प्रमाणित करता करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी भी उपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

**आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर**

**<u>नोटः–दस्तावेजों की स्वयं के द्वारा सत्यापित सूची निम्नानुसार क्रम में होना अनिवार्य हैः–</u>**

1. आवेदन फार्म
2. अनुबंध पत्रक।
3. मध्यप्रदेश नर्सिंग कॉसिंल का जीवित पंजीयन।
4. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण अंक सूची
5. अंक सूची (बी.एस.सी नर्सिंग/जी.एन.एम.)।
6. जाति प्रमाण पत्र, डिजिटल।
7. मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
8. आर्थिक रूप से कमजोर का प्रमाण–पत्र।
9. आय प्रमाण–पत्र।
10. अनुभव प्रमाण पत्र,जिला एवं राज्य स्तरीय संक्षम अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरित।
11. विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिला एवं राज्य स्तरीय संक्षम अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरित।
12. जन्म प्रमाण पत्र के समर्थन में हाईस्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिके/जन्म प्रमाण–पत्र।
13. पहचान पत्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस।
    एवं आवेदन में संलग्न समस्त आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति।